न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 09 / 2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024 / 120

1. अर्जुनराम पुत्र नन्दराम
2. औम प्रकाश पुत्र नन्दराम
3. रेशमा पत्नी अर्जनराम
4. सन्तोष पत्नी और प्रकाश

} निवासी 2 जीएम तहसील श्रीविजयनगर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भोला सिंह पुत्र मघर सिंह निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़
2. राजविन्द्र कौर पत्नी प्रेम सिंह निवासी हिंजरासर तहसील सूरतगढ़
3. रूघाराम पुत्र ख्यालीराम निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर
4. देवीलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी 23 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. भागीरथ पुत्र बालूराम निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर
6. राजाराम पुत्र बालूराम निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर
7. सन्दीप कुमार पुत्र बालूराम निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर
8. अणदू पुत्री रामूराम निवासी रूपनगर
9. चतराराम पुत्र रामूराम निवासी रूपनगर
10. लीला पुत्री रामूराम निवासी रूपनगर
11. सुमन पत्नी हरीराम निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. **श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **अप्रार्थीगण, अनुपस्थित**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 3 जीएम तहसील श्रीविजयनगर में रिथत अपनी भूमि मु.नं. 7 में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 की भूमि चक 5 जीएम मु.नं. 76,77,78,79 प्रत्येक के कि.नं. 21 से 25 एवं मु.नं. 80 कि. नं. 22 से 25 प्रत्येक किला में दक्षिणी पासा 2–2 बिस्वा स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 8 से 10 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 11 को किया जा चुका है जिस आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थी सं. 11 के नाम दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 8 से 10 के विरूद्ध कोई अनुतोष शेष नहीं रहने के कारण दिनांक 04.03.2025 को अप्रार्थी सं. 8 से 10 के विरूद्ध अनुतोष बन्द किया जा चुका है।
3. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 7 तथा 11 [illegible] रास्ता स्वीकृत किये जाने के संबंध में सहमति बाबत 100–100 [illegible] स्टाम्प पत्र पर अंकित शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है [illegible] प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता बाबत अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता स्वीकृत किये [illegible] हेतु सहमति दी गई है।
4. तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक 145 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार रास्ते की परम आवश्यकता है। मौके पर रास्ता चालू है। अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:23:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में पंहुच के प्रयोजनार्थ रास्त की अत्यंत आवश्यक्ता है, प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार के साथ प्रस्तुत मौका नक्शा का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जिस हेतु अप्रार्थीगण के सहमति बाबत शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, किसी भी अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए न होकर आत्यंतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। अन्य वैकल्पिक मार्ग का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 7 व 11 की खातेदारी भूमि चक 5 जीएम मु.नं. 76,77,78,79 प्रत्येक के कि.नं. 21 से 25 एवं मु.नं. 80 कि.नं. 22 से 25 प्रत्येक किला में दक्षिणी पासा 2—2 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगें। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 व 11 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:23:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner